उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक सी/6437 जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022
तीन–19–12/89 (Main) Pt. II

विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा.क्र. 4079/2022/21–ब(एक), दिनांक 14.10.2022 द्वारा जिला मुख्यालय भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर में अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना किये जाने हेतु सृजित किये गये तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों का आबंटन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापनाओं पर निम्न सारणी में दर्शाये अनुसार किया जाता है।

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	पदों की संख्या			
		भोपाल	ग्वालियर	इंदौर	जबलपुर
1.	शीघ्रलेखक (रु. 9300–34800 + ग्रेड वेतन 3600)	1	1	2	1
2.	प्रस्तुतकार (रु. 9300–34800 + ग्रेड वेतन 3600)	1	1	2	1
3.	प्रवर्तन लिपिक (AG-II) (रु. 5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400)	1	1	2	1
4.	साक्ष्य लेखक (रु. 5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900)	1	1	2	1
5.	आदेशिका लेखक (रु. 5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900)	1	1	2	1
6.	वाहन चालक (रु. 5200–20200 + ग्रेड वेतन 1900)	1	1	2	1
7.	जमादार (रु. 4440–7440 + ग्रेड वेतन 1400)	1	1	2	1
8.	भृत्य (रु. 4440–7440 + ग्रेड वेतन 1300)	3	3	6	3
	योग	10	10	20	10

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार

13.12.2022

(विवेक सक्सेना)
रजिस्ट्रार {जिला स्थापना}

पृष्ठांकन क्रमांक सी/6438 जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

प्रतिलिपि :–

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित;

(2) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर एवं जबलपुर की ओर आबंटित पदों की प्रविष्टि/मैपिंग उनके डी.डी.ओ के अंतर्गत जिला कोषालय के IFMIS सर्वर डाटाबेस में किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित;

(3) महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित;

(4) आयुक्त, संचालनालय, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर इस निवेदन साथ अग्रेषित कि संबंधित पदों की प्रविष्टि संबंधित प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (डी.डी.ओ.कोड 0502103002), ग्वालियर (डी.डी.ओ. कोड 1402103006), इंदौर (डी.डी.ओ. कोड 1702103006) एवं जबलपुर (डी.डी.ओ. कोड 1802103010) लेखा शीर्ष 29–2014–00–800–9999–7984 (परिवार न्यायालय) (मतदेय)) के अंतर्गत आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर के डाटाबेस (सेंट्रल सर्वर) में सारणी में दर्शित पदों की संख्या अनुसार किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का आदेश फा.क्र. 4079/2022/21–ब (एक), दिनांक 14.10.2022।

13.12.2022

(विवेक सक्सेना)
रजिस्ट्रार {जिला स्थापना}

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 / 10 / 2022

फा.क्रमांक 4079 / 2022 / 21–ब(एक), राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रदेश के 05 जिलों में क्रमशः भोपाल में एक, ग्वालियर में एक, इंदौर में दो तथा जबलपुर में एक इस प्रकार कुल 05 अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालयों की स्थापना करते हुए, इन न्यायालयों के लिए जिला न्यायाधीश (सुपर–टाईम–स्केल) के 05 पद एवं उनके अमले के 50 पदों का सृजन निम्नानुसार करता है:–

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान व ग्रेड वेतन
1	जिला न्यायाधीश (सुपर टाईम स्केल)	05	70290-1540-76450
2	शीघ्रलेखक	05	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600
3	प्रस्तुतकार (Reader to District Judge)	05	9300-34800 ग्रेड वेतन 3600
4	प्रवर्तन लिपिक (Execution Clerk Asstt. Gr.II)	05	5200-20200 ग्रेड वेतन 2400
5	साक्ष्य लेखक	05	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900
6	आदेशिका लेखक	05	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900
7	वाहन चालक	05	5200-20200 ग्रेड वेतन 1900
8	जमादार	05	4440-7440 ग्रेड वेतन 1400
9	भृत्य	15	4440-7440 ग्रेड वेतन 1300
योग		55	

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29–2014 न्याय प्रशासन–(7984) परिवार न्यायालयों की स्थापना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रि–परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 09 दिनांक 27 / 9 / 2022 के अनुसरण में एवं वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 103-104/R-1137/22/B-8/4 दिनांक 21-11-22 के अनुपालन में जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(बी.के.द्विवेदी)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग, मंत्रालय
पृष्ठांकन क्र0 103-104/सी.आर 1137/ब-8
/चार, दिनांक 21-11-22 द्वारा महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर की ओर एक अतिरिक्त प्रति सहित अग्रेषित।
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

निरंतर.....2

पृ.फा.कमांक 4079 / 2022 / 21–ब(एक), भोपाल, दिनांक 14 / 10 / 2022

प्रतिलिपि :–

1. रजिस्ट्रार जनरल, म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर की ओर उनके प्रस्ताव क्रमांक C/3293/III-6-3/85-IX जबलपुर, दिनांक 16 / 8 / 2016 एवं इस संदर्भ में किए गए अन्य पत्राचार के संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु,
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल की ओर वित्त विभाग के यू.ओ.क्र. 532 / आर–549 / 21–ब–814 दिनांक 17 / 9 / 2021 के परिपालन में अभिलेख में रखे जाने हेतु प्रेषित।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर दो प्रतियों सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(उमेश पाण्डव)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग